न्यायालय सहायक कलक्टर(SDO),मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : मोहन सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **141/14 (वाद)**

1. श्री दिनेश पिता धना उर्फ धनीराम जोशी निवासी साकरोदा तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री कैलाश पिता हरिराम जोशी निवासी साकरोदा हाल इन्दौर (मध्यप्रदेश)।
2. श्री राधेश्याम पिता हरिराम जोशी निवासी साकरोदा हाल इन्दौर (मध्यप्रदेश)।
3. खुमाणी बेवा हरिराम जोशी निवासी साकरोदा हाल इन्दौर (मध्यप्रदेश)।
4. मगनीबाई पत्नी धना उर्फ धनीराम जोशी निवासी साकरोदा तह. मावली मृतक के बजाय :–

4/1 गीताबाई पुत्री धना उर्फ धनीराम पत्नी सुरजमल जोशी निवासी इन्दौर, तिलक पथ रामबाग (मध्यप्रदेश)।

4/2 जयश्री पुत्री धना उर्फ धनीराम पत्नी स्व. कमलेश जोशी निवासी इन्दौर, अंजली नगर, एरोडम रोड (मध्यप्रदेश)।

4/3 लक्ष्मीबाई पुत्री धना उर्फ धनीराम पत्नी नवनीत कुमार पालीवाल निवासी कांकरोली धोरा मोहल्ला पीपली चबुतरा, जिला राजसमन्द।

5. पटवारी, पटवार हल्का साकरोदा, तह. मावली।
6. उप पंजीयक अधिकारी मावली तह. मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री पवन सेन, अधिवक्ता वादी।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188, 63(1),(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय

दिनांक 03.09.2019

1. वादी द्वारा वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा तह. मावली की आराजी नम्बर 1712 से 1718, 1747, 1753, 1757, 1758, 1759, 1760, 1768, 1771, 1789, 1790, 1791, 1800, 2358, 2359, 2360, 2370 किता 23 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा। उक्त वर्णित आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में राधाकिशन हरिराम पिता वेणीराम के नाम 2/3 हिस्सा एवं वादी व प्रतिवादी सं. 4 के नाम संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सानुसार अंकित हैं। खातेदार राधाकिशन लाऔलाद फौत हो चुका हैं। खातेदार हरिराम का भी स्वर्गवास हो चुका हैं जिसके वारिस प्रतिवादी सं. 1 से 3 है। नकल जमाबन्दी साथ संलग्न हैं।
2. वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि के खातेदार श्री हरिराम की मृत्यु पश्चात् प्रतिवादी 1 से 3 जो हरिराम के पुत्र व पत्नी है ने उक्त कृषि भूमि में अपने सम्पूर्ण हक व हिस्सें को सम्वत् 2049 का आसोज सुदी 7 तारीख 03.10.92 को मुझ वादी के पिता

धनीराम जी को विक्रय कर जमीन का कब्जा सौंप दिया और विक्रय की लिखापढी प्रतिवादी सं. 1 से 3 ने मुझ वादी के पिता के पक्ष में स्टाम्प पर लिखा दी। तब से मेरे पिता उक्त भूमि पर काबिज हो काश्त करते चले आ रहे थे और उनकी मृत्यु के बाद मैं वादी व प्रतिवादी सं. 4 उक्त भूमि पर काबिज है और काश्त कर रहे हैं।

3. मुझ वादी के पिता के एक भाई राधाकिशन और था जो आज से करीब 30 वर्ष पूर्व लाऔलाद फौत हो चुके है। राधाकिशन जी की मृत्यु के बाद होने वाले सभी सामाजिक, पारिवारिक कार्यक्रमों का सम्पूर्ण खर्चा मुझ वादी के पिता ने वहन ही किया जिससे समाज एवं परिवार के मौतबीरों ने उक्त कार्यक्रम में हुए खर्चे के पेटे राधाकिशन जी के नाम दर्ज कृषि भूमि को मुझ वादी के पिता को सिपुर्द कर दी जिसपर मेरे पिता उनके जीवनकाल में काबिज थे और उनकी मृत्यु के बाद मैं वादी व प्रतिवादी सं. 4 काबिज हो उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं। इस प्रकार वाद में वर्णित कृषि भूमियों में खातेदार राधाकिशन के नाम दर्ज हिस्सा भूमि पर गत 30 वर्षों से एवं हरिराम के नाम दर्ज हिस्सा पर गत 24 वर्षों से मुझ वादी के पिता का व उनके मरने के पश्चात् मुझ वादी व प्रतिवादी सं. 4 का निरन्तर लगातार कब्जा निर्बाध रूप से शांतिपूर्वक चला आ रहा है किन्तु वर्तमान में जमीन खातेदार राधाकिशन एवं हरिराम के नाम दर्ज होने से प्रतिवादी सं. 1 से 3 अपने नाम विरासत को नामान्तरकरण खुलवाकर भूमि को विक्रय करने पर आमादा हो रहे है और प्रतिवादी सं. 1 से 3 हमें हमारे कब्जे काश्त की भूमियों से बेदखल करने पर अमादा हो रहे है और भूमियों को विक्रय कर नाजायज लाभ प्राप्त करना चाह रहे है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए वाद में वर्णित कृषि भूमि में खातेदार राधाकिशन व हरिराम के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को मुझ वादी व प्रतिवादी सं. 4 के नाम पर खातेदारी हक की घोषित करा राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने का अधिकारी हूं। जिसके लिए उक्त वाद पत्र प्रस्तुत हैं।

4. वाद में वर्णित कृषि भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 से 3 या इनके पूर्वजों का गत 24 वर्षों से कोई कब्जा हक अधिकार नहीं रहा है लेकिन उक्त भूमि वर्तमान रेवेन्यु रेकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 से 3 के पिता हरिराम के नाम पर दर्ज होने से प्रतिवादी सं. 1 से 3 उक्त भूमि को विरासत के आधार पर अपने नाम पर अंकित कर विक्रय करने पर आमादा हो रहे हैं और भूमाफियां भी केवल रेकार्ड को देखकर ही रजिस्ट्री कराने पर तुले हुवे है। प्रतिवादीगण के मन में भी लोभ और लालच की भावना जागृत हो गयी है और वे हमारे कब्जे काश्त व खरीदसुदा जमीन को पुनः दूसरे लोगो को बेचने पर आमादा है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं हैं। इसलिए

मैं वादी प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने का अधिकारी हूं कि वाद में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 3 विरासत के आधार पर अपना नाम अंकित नहीं करावें, उक्त भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करें, हमको उक्त भूमि का शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, बेदखल नहीं करें, हमारे शांतिपूर्वक चले आ रहे कब्जे में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करें, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि के मार्फत ही करावें एवं मौके व राजस्व रेकार्ड की यथावत् स्थिति बनायें रखें।

5. वाद में वर्णित आराजीयात में खातेदार राधाकिशन व हरिराम के नाम दर्ज भूमि में किन्ही कारणों से हमारी खातेदारी में कोई अडचन उपस्थित होती है तो भी इस आराजीयात में खातेदार राधाकिशन के नाम दर्ज भूमि पर हमारा व हमारे पूर्वज का कब्जा 30 वर्ष से भी ज्यादा समय से एवं खातेदार हरिराम के नाम दर्ज भूमि पर हमारा व हमारे पूर्वज का कब्जा 24 वर्ष से भी ज्यादा समय से खुले रूप में शांतिपूर्वक लगातार अधिकार सहित चला आ रहा है इसलिए प्रतिकूल कब्जे के आधार पर हमउ क्त जमीन को अपने खाते कराने के अधिकारी हैं चूंकि प्रतिवादीगण या इनके पूर्वजों का कब्जा नहीं रहा है इसलिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 (1), (4) के अन्तर्गत उनकी खातेदारी तो स्वतः ही समाप्त हो गयी है और हम इसके खातेदार काश्तकार बन गये हैं।
6. मुझ वादी का मजबूत प्राइमाफैसी केस है क्योंकि प्रतिवादी सं. 1 से 3 स्वयं ने उनके पिता/पति के नाम दर्ज भूमि को मुझ वादी के पिता को बेची है और अपने हक हिस्से की जमीन का कब्जा हमारे पिता को सिपुर्द किया था और तब से ही उक्त सम्पूर्ण जमीन हमारे कब्जे काश्त में चली आ रही है और प्रतिवादीगण का कोई कब्जा अधिकार नहीं रहा है तथा राधाकिशन के नाम दर्ज भूमि को समाज, परिवार के मौतबीरान ने राधाकिशन की मृत्यु के बाद होने वाले सामाजिक, पारिवारिक कार्यक्रमों में मुझ वादी के पिता के हुवे खर्चे के पेटे दी गयी है जिसपर भी हमारा कब्जा अनवरत चला आ रहा हैं। ऐसी अवस्था में प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का स्वत्व अधिकार नहीं है। इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ वादी को भारी अशोधनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी मेरे पक्ष में हैं।
7. वाद कारण दिनांक 08.06.2014 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 ने जमीन विरासत से अपने नाम पर अंकित करा अन्य को बेचने की धमकी दी और

हमारे कहने पर भी हमारे खाते कराने से इन्कार हो गयें। इसलिए उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं।

8. अतः प्रार्थना है कि मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की डिक्री जारी फरमाई जावें कि वाद में वर्णित भूमि में खातेदार राधाकिशन व हरिराम के नाम दर्ज हिस्सा भूमि को मुझ वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 के बराबर हक व हिस्सेनुसार खातेदारी में घोषित फरमाई जाकर इसी अनुसार हमारा नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराया जावें एवं खातेदार राधाकिशन, हरिराम का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावें। मुझ वादी के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि वाद में वर्णित कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 से 3 विरासत से अपना नाम दर्ज नहीं करावें, मुझ वादी व प्रतिवादी सं. 4 के कब्जे काश्त की भूमि का हमे शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नहीं करें, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नहीं करें, प्रवेश नहीं करे, बेदखल नहीं करें, न कब्जा करे, उक्त कार्य न स्वयं करें, न ही अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से करावें, रेकार्ड एवं मौके की यथावत् स्थिति बनाये रखें एवं प्रतिवादी सं. 5, 6, 7 ताफैसला वाद राजस्व रिकार्ड की यथावत् स्थिति बनाए रखें।

9. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 3, 4/1 से 4/3 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गयें। प्रकरण में साक्ष्य वादी प्रारम्भ करवाई गई।

10. साक्ष्य वादी पी.डब्ल्यू–1 श्री दिनेश पिता धन्ना उर्फ धन्नीराम, पीडब्ल्यू 2– श्रीमती भागवन्ती देवी पत्नी दिनेश, पीडब्ल्यू–3 श्री श्यामलाल पिता हीरालाल पालीवाल, पीडब्ल्यू–4 श्री परसराम पिता अर्जुन गायरी का शपथ पत्र पेश किया गया। वादी द्वारा अपने वाद पत्र के समर्थन में दस्तावेज जमाबन्दी नकल प्रदर्श 1, विक्रय ईकरार फोटो प्रति प्रदर्श 2 ए पेश किया।

11. प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता वादी की एकतरफा बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता वादी द्वारा दौराने बहस प्रकरण में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा वादी का वाद स्वीकार किया जाने का निवेदन किया।

12. हमने विद्वान अधिवक्ता वादी की बहस पर बगौर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। वाद वर्णित भूमि वर्तमान में खातेदार राधाकिशन, हरिराम पिता वेणीराम 2/3, दिनेश पिता धन्ना, मगनीबाई

पत्नी स्व. धन्ना 1/3 हिस्सा ब. ब्राहम्ण के नाम दर्ज है जो दस्तावेज प्रदर्श 1 हैं। वादग्रस्त भूमि पूर्व में राधाकिशन, हरिराम व धन्ना तीनों भाईयों के नाम दर्ज थी जो धन्ना की मृत्यु के पश्चात् धन्ना के वारिसों के नाम दर्ज हुई हैं। वादग्रस्त भूमि में हरिराम की मृत्यु हो जाने से हरिराम के वारिस खमाणीबाई, कैलाश व राधेश्याम (नाबालिग) द्वारा अपना 1/3 हिस्सा 6/– रूपयें के स्टाम्प पर 38,000/– रूपये में वादी के पिता धन्नीराम पिता वेणीराम जोशी को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया तब से ही वादग्रस्त भूमि पर वादी के पिता व वादी का कब्जा चला आ रहा हैं। चूंकि उक्त भूमि को विक्रय हरिराम के वारिसों द्वारा पूर्व में ही कर दिया है परन्तु भूमि अभी भी हरिराम के नाम ही दर्ज चली आ रही हैं। राधाकिशन भी लाऔलाद फौत होना बताया एवं राधाकिशन की सेवा चाकरी व अन्तिम क्रिया आदि कार्य वादी द्वारा करना बताया हैं। प्रकरण में तहसीलदार मावली से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसमें भी वादग्रस्त भूमि पर वादी का कब्जा होने का कथन किया हैं व धन्नीराम को हरिराम के वारिसों द्वारा भूमि विक्रय करने का कथन भी अपनी रिपोर्ट में किया हैं। चूंकि धन्ना उर्फ धन्नीराम फौत हो चुका है जिसका वारिस वादी एवं प्रतिवादी सं. 4 मगनीबाई एवं 4/1 से 4/3 बताया हैं। 4 मगनीबाई भी दौराने वाद फौत हो चुकी हैं। अब धन्नीराम के विधिक वारिसों में वादी दिनेश व प्रतिवादी सं. 4/1 से 4/3 होकर रेकार्ड पर हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि का हरिराम के वारिसों ने पूर्व में ही भूमि का पूर्ण प्रतिफल प्राप्त कर दिनांक 03.10.92 को विक्रय कर कब्जा सिपूर्द कर दिया हैं। जिसकी पुष्टि तहसीलदार मावली द्वारा अपनी रिपोर्ट में की गई हैं। वादी द्वारा अपने समर्थन में साक्ष्य गवाह पेश किये जिसमे भी स्वतन्त्र गवाह श्री श्यामलाल पिता हिरालाल पालीवाल उम्र 59 वर्ष ने भी बेचान को स्वीकार किया है तथा मौके पर कब्जा वादी का होना बताया है , गवाह श्री परसराम पिता अर्जुनलाल गायरी उम्र 35 वर्ष निवासी जेवाणा जिसके पिता अर्जुनलाल जी वादी के पिता धनीराम के यहां लगभग 25–30 वर्षो तक सिजारी की हैसियत से कृषि करना बताया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर मौके पर वादी का कब्ज्जा होने के तथ्यों को झुठलाया नहीं जा सकता है। इसलिए हरिराम के हिस्सें को धन्नीराम के वारिस के नाम पर दर्ज किया जाना उचित हैं, परन्तु वादी द्वारा राधाकिशन के लाऔलाद फौत होने से उसके हिस्से की भूमि को भी अपने नाम दर्ज कराने की प्रार्थना की हैं। वह स्वीकार नहीं की जा सकती है, क्यूंकि राधाकिशन लाऔलाद फौत हुआ है उसने किसी भी प्रकार की लिखापढी व वसीयत वादी के पक्ष में नही की हैं। जिससे राधाकिशन के नाम दर्ज भूमि को वादी के नाम दर्ज की जा सके। परन्तु

राधाकिशन लाऔलाद फौत हो चुका हैं जिसके विधिक वारिसान हरिराम व धन्ना के वारिस ही हैं। ऐसी स्थिति में राधाकिशन के नाम दर्ज भूमि को हरिराम व धन्ना के वारिसों के नाम दर्ज किया जाना उचित हैं। चूंकि वादग्रस्त भूमि में हरिराम के वारिसों द्वारा वादी के पिता धन्नीराम को अपना 1/3 हिस्सा 38,000/– रूपयें में दिनांक 03.10.92 को विक्रय किया है जिसका पंजीयन नहीं करवाया गया हैं। उक्त विक्रय अनरजिस्टर्ड विक्रय है जिसके आधार पर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित करने पर राज्य सरकार को स्टाम्प की हानि सम्भव हैं। इसलिए स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने की शर्त पर वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी का वाद आंशिक स्वीकार किया जाता हैं।

–: : आदेश : :–

परिणामस्वरूप वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88,188,63(1),(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा की आराजी नम्बर 1712 से 1718, 1747, 1753, 1757, 1758, 1759, 1760, 1768, 1771, 1789, 1790, 1791, 1800, 2358, 2359, 2360, 2370 किता 23 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा भूमि में खातेदार राधाकिशन का नाम हटाया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 4/1 से 4/3 को संयुक्त रूप से व प्रतिवादी सं. 1 से 3 को संयुक्त रूप से नाम दर्ज की जावें एवं विक्रय पत्र दिनांक 03.10.92 के आधार पर खातेदार हरिराम के बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं. 4/1 से 4/3 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। विक्रय पत्र दिनांक 03.10.92 के आधार पर नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमा कराई जावें। तथा प्रतिवादी सं 1, 2, 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से कब्जे की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे, वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें, इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे। डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.09.2019 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास मोहन सिंह, आर.ए.एस.

उनवान्

1. श्री दिनेश पिता धना उर्फ धनीराम जोशी निवासी साकरोदा तह. मावली।

.....वादी

बनाम्

1. श्री कैलाश पिता हरिराम जोशी निवासी साकरोदा हाल इन्दौर (मध्यप्रदेश)।
2. श्री राधेश्याम पिता हरिराम जोशी निवासी साकरोदा हाल इन्दौर (मध्यप्रदेश)।
3. खुमाणी बेवा हरिराम जोशी निवासी साकरोदा हाल इन्दौर (मध्यप्रदेश)।
4. मगनीबाई पत्नी धना उर्फ धनीराम जोशी निवासी साकरोदा तह. मावली मृतक के बजाय :–

4/1 गीताबाई पुत्री धना उर्फ धनीराम पत्नी सुरजमल जोशी निवासी इन्दौर, तिलक पथ रामबाग (मध्यप्रदेश)।

4/2 जयश्री पुत्री धना उर्फ धनीराम पत्नी स्व. कमलेश जोशी निवासी इन्दौर, अंजली नगर, एरोडम रोड (मध्यप्रदेश)।

4/3 लक्ष्मीबाई पुत्री धना उर्फ धनीराम पत्नी नवनीत कुमार पालीवाल निवासी कांकरोली धोरा मोहल्ला पीपली चबुतरा, जिला राजसमन्द।

5. पटवारी, पटवार हल्का साकरोदा, तह. मावली।
6. उप पंजीयक अधिकारी मावली तह. मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188,63(1),(4) राज.काश्तकारी अधिनियम
मुकदमा न0 : 141/14 (वाद)

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु मोहन सिंह R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादी का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 63(1),(4) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा साकरोदा पटवार हल्का साकरोदा की आराजी नम्बर 1712 से 1718, 1747, 1753, 1757, 1758, 1759, 1760, 1768, 1771, 1789, 1790, 1791, 1800, 2358, 2359, 2360, 2370 किता 23 रकबा 30 बीघा 15 बिस्वा भूमि में खातेदार राधाकिशन का नाम हटाया जाकर वादी व प्रतिवादी सं. 4/1 से 4/3 को संयुक्त रूप से व प्रतिवादी सं. 1 से 3 को संयुक्त रूप से नाम दर्ज की जावें एवं विक्रय पत्र दिनांक 03.10.92 के आधार पर खातेदार हरिराम के बजाय वादी एवं प्रतिवादी सं. 4/1 से 4/3 को संयुक्त रूप से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता हैं। विक्रय पत्र दिनांक 03.10.92 के आधार पर

नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी राजकोष में जमा कराई जावें। प्रतिवादी सं 1, 2, 3 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से कब्जे की भूमि में दखलन्दाजी नहीं करे, वादी को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें, इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे। स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द रहे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 03.09.2019 को जारी की गई।

(मोहन सिंह)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली